

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : संस्था.-1/2024/186-236

दिनांक : 5-1-2024

परिपत्र

1. समस्त निदेशक, शैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त प्राचार्य, विश्वविद्यालय संघटक महाविद्यालय, जयपुर।
4. समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषय:- अर्द्ध वैतनिक अवकाश (HPL) की स्वीकृति बाबत।

प्रायः यह देखा गया है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कार्मिकों द्वारा अर्द्ध वैतनिक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसमें चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने के कारण अर्द्ध वैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाना संभव नहीं हो पाता है।

अतः निर्देशानुसार समस्त शिक्षकों/कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि भविष्य में अर्द्ध वैतनिक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र/अध्ययन हेतु प्रार्थना पत्र संलग्न होने पर ही अर्द्ध वैतनिक अवकाश (HPL) स्वीकृत किया जा सकेगा।


(कालू राम)
कुलसचिव